

सं०/1-110028/01/2022/स्था-02/राजू गुप्ता/2022- 1798

कार्यालय कमांडेंट, सपोर्ट वाहिनी
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
गृह मंत्रालय/भारत सरकार
पत्रालय-करैरा, जिला-शिवपुरी (म०प्र०)

दिनांक 09/08/24



"कारण बताओ" नोटिस

क्योंकि, दल संख्या 147011755 है०कॉ०(दू०सं०) राजू गुप्ता, सपोर्ट वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस बल दिनांक 05.03.2024(अप्र.) से बिना राक्षम अधिकारी के अनुमति के 30 दिन अर्जित अवकाश से अनुपस्थित है। कर्मी को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा-74 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत गठित न्यायिक जाँच समिति की संस्तुति के आधार पर दिनांक 06.03.2024 (पूर्वा०) से भा०ति०सी०पु० बल अधिनियम 1992 की धारा 74(2) के अंतर्गत सपोर्ट वाहिनी के आदेश संख्या 1153 दिनांक 08.05.2024 के तहत भगौडा घोषित किया गया है। कर्मी को सपोर्ट वाहिनी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 611-A दिनांक 06.03.2024, ज्ञापन संख्या 710 दिनांक 18.03.2024, ज्ञापन संख्या 896 दिनांक 02.04.2024 एवं ज्ञापन संख्या 1077 दिनांक 30.04.2024 के तहत ड्यूटी पर आमद देने हेतु सूचित किया गया। तत्पश्चात् सपोर्ट वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस बल के पत्र संख्या 937 दिनांक 09.04.2024 के तहत स्थानीय पुलिस, अधीक्षक, जिला-भोजपुर (बिहार) से भी कर्मी की गिरफ्तारी हेतु अनुरोध किया गया था।

02 अब इस नोटिस के माध्यम से उक्त गांगुले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व दल संख्या 147011755 है०कॉ०(दू०सं०) राजू गुप्ता, सपोर्ट वाहिनी अपनी ओर से कोई प्रतिवेदन करना चाहता है अथवा आत्मसमर्पण करना चाहता है तो वह सोनानी, सपोर्ट वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को लिखित रूप से इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर ऐसा कर सकता है।

(दिग्विजय सिंह नेगी)

सोनानी

सपोर्ट वाहिनी, भा०ति०सी०पु० बल

CBCA/9112/11/0107/2425